बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

पटना, दिनांक–.....

का0आ0सं0–AL-942/183/2022-SEC_8--1622/– तत्कालीन निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–28.08.2020 को जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर का कार्यालय निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) बिहार, पटना एवं प्रमण्डलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना भी उपस्थित थे। निरीक्षण के क्रम में निबंधन महानिरीक्षक द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 47"ए–1" में प्रेषित किये गये दस्तावेजों की समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि श्री मनीष रंजन, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर, सम्प्रति अवर निबंधन कार्यालय, मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) द्वारा प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 11 मामले अंकित कर प्रतिवेदन समर्पित कर प्रेषित किया गया। उन मामलों को चिन्हित करने हेतु निदेशित किये जाने पर उनके द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया और उनके द्वारा उक्त मामले को चिन्हित करने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इस संदर्भ में आरोपी कर्मी श्री मनीष रंजन, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर, सम्प्रति अवर निबंधन कार्यालय, मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) के विरूद्ध जिला अवर निबंधक, भोजपुर द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में श्री रंजन के विरूद्ध विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया एवं विभागीय पत्रांक–3766 दिनांक–14.07.2023 द्वारा उनसे जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर के पदस्थापन अवधि में कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने के संदर्भ में गठित आरोप पत्र के आलोक में स्पष्टीकरण की माँग की गयी जिसके अनुपालन में आरोपी कर्मी श्री रंजन द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जो प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोपों की वृहत जाँच हेतु विभागीय आदेश सं0–2775 दिनांक–11.07.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमण्डल, गयाजी को संचालन पदाधिकारी तथा जिला अवर निबंधक, गयाजी को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हुए उन्हें जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया जिसके आलोक में संचालन पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गयाजी द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें अंकित किया गया कि आरोप की प्रकृति अपराध या कदाचार की श्रेणी में नहीं आता है। संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि संचालन पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमण्डल, गयाजी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि आरोपी कर्मी के विरूद्ध आरोप की प्रकृति अपराध या कदाचार की श्रेणी में नहीं आता है किन्तु आरोपी कर्मी ने अपने स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उनके द्वारा निरीक्षण संलेख में टंकण भूलवश लंबित मामलों की संख्या 03 की जगह 11 अंकित हो गया था जिसे निरीक्षण संलेख तैयार करने की जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया जा सका। इससे स्पष्ट होता कि आरोपी कर्मी द्वारा सरकारी कार्यो में चूक एवं लापरवाही बरती गयी जबकि आरोपी कर्मी पूर्णतः अवगत थे कि कार्यालय का निरीक्षण निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जा रहा है। आरोपी कर्मी द्वारा सरकारी कार्यो में चूक एवं लापरवाही बरतने के प्रमाणित आरोपों के कारण विभागीय आदेश–6203 दिनांक–24.10.20205 द्वारा आरोपी कर्मी श्री मनीष रंजन, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर, सम्प्रति अवर निबंधन कार्यालय, मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धारा के अधीन लघु दण्ड के रूप में 1. निन्दन (आरोप वर्ष 2020) एवं 2. असंचयात्मक प्रभाव से तीन (03) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक–12.02.2026 को सुनवाई की गयी।

2. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचिका/अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि श्री मनीष रंजन, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर, सम्प्रति अवर निबंधन कार्यालय, मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल कार्य करने के संदर्भ में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी से प्राप्त बचाव बयान के समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं0–6203 दिनांक 24.10.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के अधीन लघु दण्ड 1.

12.03.26

निन्दन (आरोप वर्ष 2020) एवं 2. असंचयात्मक प्रभाव से 03 वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित दंडादेश की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 27 के अधीन निम्न मानकों पर की गयीः–

(क) क्या अनुशासनिक प्राधिकार ने दंडादेश पारित करने के क्रम में नियमावली में विहित प्रकियाओं का सर्वथा पालन किया है, यदि नहीं तो क्या ऐसा अनुपालन नहीं किये जाने से भारत के संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है अथवा न्याय नहीं हो पा रही है ?

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकार का निष्कर्ष अभिलेख पर रखे गये साक्ष्य द्वारा समर्थित है?

(ग) क्या अधिरोपित शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है ?

4. अपीलार्थी के अपील आवेदन के आलोक में अभिलेख की जॉच की गई। अपीलार्थी श्री मनीष रंजन, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर, सम्प्रति अवर निबंधन कार्यालय, मोतीपुर, द्वारा सुनवाई के क्रम में एवं अपील आवेदन में अपना पक्ष रखा है कि वर्ष 2017–18 में कुल 38 मामले प्रतिवेदित थें जिसमें से 35 मामले में आदेश पारित हो चुका था शेष मामले 03 आदेश हेतु लम्बित था। निरीक्षण टिप्पणी में कुल 11 मामलों को स्पष्टता के साथ टंकित नहीं रहने के कारण तत्क्षण उनके द्वारा चिन्हित नहीं कराया गया।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपित कर्मी के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं संलग्न साक्ष्य अनुलग्नको की विवेचना से स्पष्ट है कि आरोपी कर्मी ने अपने स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उनके द्वारा निरीक्षण संलेख में टंकण भूलवश लंबित मामलों की संख्या 03 की जगह 11 अंकित हो गया था जिसे निरीक्षण संलेख तैयार करने की जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया जा सका। आरोपी कर्मी द्वारा सरकारी कार्यो में चूक एवं लापरवाही बरती गयी जबकि आरोपी कर्मी पूर्णतः अवगत थे कि कार्यालय का निरीक्षण निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जा रहा है। आरोपी कर्मी द्वारा सरकारी कार्यो में चूक एवं लापरवाही बरती गयी है जो सरकारी सेवक के लिये निर्धारित आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। निष्कर्ष जॉच पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से समर्थित है। आरोपित कर्मी के विरुद्ध अधिरोपित दंड समानुपातिक एवं पर्याप्त है।

7. अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपीलार्थी श्री मनीष रंजन, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर, सम्प्रति अवर निबंधन कार्यालय, मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) के अपील आवेदन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम 27 (3) के अन्तर्गत खारिज करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार निबंधन महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट किया गया है।

8. अतएव उक्त के आलोक में श्री मनीष रंजन, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर, सम्प्रति अवर निबंधन कार्यालय, मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

9. इसमें विभागीय सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– AL-942/183/2022-SEC_8- 1622 /– पटना, दिनांक– 13.03.26

प्रतिलिपि–मुख्यलेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/ डॉ0 संजय कुमार, उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमण्डल, गयाजी/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/जिला कोषागार पदाधिकारी, गयाजी/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला अवर निबंधक, भोजपुर, आरा/जिला अवर निबंधक, गयाजी/अवर निबंधन, मोतीपुर (मुजफ्फरपुर)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री मनीष रंजन, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर, सम्प्रति अवर निबंधन कार्यालय, मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

12.03.26